

35      49      70

**EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3 SUB SEC. (ii)**

Appearing on Page No. 4083-4084

Dated on 25-10-91

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1991

New Delhi, the 29th August, 1991.

का.आ. 2669:-- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा 18 को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम को चतुर्थ अनुसूची का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

S.O.2659.--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of the Indian Medicine Central Council Act 1970 (48 of 1970) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely :-

In the Fourth Schedule to the said Act, (a) against the existing entry "Institute of Indigenous Medicine, University of Colombo, Sri Lanka," after the qualification "(2) Diploma in Ayurvedic Medicine & Surgery (Siddha)" the following entries shall be inserted, namely :-

उक्त अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में,--

(क) "इंस्टीट्यूट ऑफ इंडीजना मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो श्रीलंका" विद्यमान प्रविष्टि के सामने, "(2) डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (सिद्ध)" अर्थात् के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
	"(3) Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery	BAMS	From 1991 onwards
	(4) Bachelor of Unani Medicine & Surgery	BUMS	From 1991 onwards";

1	2	3	4
"(3) बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी	बी.ए.एम.एस.		1991 से
(4) बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी	बी.यू.एम.एस.		1991 से "

(ख) उक्त अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में, "यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना, श्रीलंका" विद्यमान प्रविष्टि के सामने, "डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (सिद्ध)" अर्थात् के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(b) In the fourth Schedule to the said Act, against the existing entry of University of Jaffna, Sri Lanka, after the qualification "Diploma in Ayurvedic Medicine & Surgery (Siddha)" the following entries shall be inserted, namely :-

1	2	3	4
"(2) Bachelor of Siddha Medicine & Surgery	BSMS		From 1989 onwards";

1	2	3	4
"(2) बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी	बी.एस.एम.एस.		1989 से"

[सं. वो. 26015/13/86-ए.ई]

एन.के. पुष्पाकरण, अवर सचिव

[No. V. 26015/13/86-AE]

N. K. Puspa Karan, Under Secy.

टिप्पणी :- केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की चौथी अनुसूची को बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया है :-

Note : The Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) has been subsequently amended vide :-

(1) का.आ. 3246, नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर, 1990

(1) S.O. 3246, New Delhi, the 31st October, 1990